न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र सं. 12/2022

राजस्थान सरकार जरिये अब्दुल सादिक,प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर

...............**प्रार्थी**

बनाम

1. श्री हरविन्दर सिंह पुत्र श्री हरभजन सिंह
   निवासी बटाला होटल, नालागढ होटल के पास, ग्राम खेडी तहसील भिनाय पुलिस थाना भिनाय ....**अप्रार्थीगण**

उपस्थित :- 1.श्री अब्दुल सादिक प्रवर्तन अधिकारी पैरोकार सरकार
2.श्री राजेश कुमार शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

आदेश

दिनांक 12.04.2023

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 13.9.2021 को अवैध पेट्रोलियम पदार्थ व्यवसाय की सूचना पर श्री अंकित पचार जिला रसद अधिकारी, अजमेर के निर्देशन में जांच दल श्री हरविन्दर सिंह पुत्र श्री हरभजन सिंह, बटाला होटल, ग्राम खेडी, तहसील भिनाय पर आकस्मिक जांच हेतु पहुॅचे एवं जाच कार्यवाही में श्री हरविन्दर सिंह द्वारा ट्रक चालको से डीजल (HSD) की खरीद की जाती है तथा अन्य वाहन चालको को डीजल बिकी का व्यवसाय किया जाता है। श्री हरविन्दर के पास वक्त जांच 14 जरीकेनो से 655 लीटर, तीन ड्रमों में 620 लीटर, एक टंकी में 340 लीटर कुल 1615 डीजल (HSD) का भण्डारण होना पाया गया । श्री हरविन्दर के पास डीजल व्यवसाय का कोई अनुज्ञा पत्र/अनापति पत्र नही होना पाया, एवं जिनके पास उक्त डीजल की खरीद का बिल वाउचर नही होना पाया गया। श्री हरविन्दर द्वारा वक्त जांच बताया कि उनके द्वारा 80 रूपये लीटर में खरीद कर 85 रूपये लीटर में डीजल बिकी की जाती है। श्री हरविन्दर द्वारा अवैध रूप से डीजल व्यवसाय किए जाने पर उनसे 1615 लीटर डीजल, 14 जरीकेन प्लास्टिक, 3 ड्रम लोहे के, एक प्लास्टिक टंकी, एक इलेक्ट्रिक मोटर पाईप जुडे, तीन प्लास्टिक कीप, दो मापक कमशः एक लीटर एवं दो लीटर को कब्जेराज किया गया एवं श्री बलवीर सिह पुत्र श्री भंवरसिह निवासी कल्याणपुरा कार्मिक श्री कालिका फिलिंग पैट्रोल पंप Bpcl ग्राम खेडी, तहसील भिनाय को सुपुर्द किया गया। श्री हरविन्दर पुत्र श्री हरभजन का उक्त कृत्य मोटर स्प्रिट और उच्च वेग आदेश 2005 के क्लाज 3 (4)(7) एवं 4 का उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तशुदा 1615 लीटर डीजल (HSD) 14 प्लास्टिक जरीकेन, तीन लोहे के ड्रम, एक प्लास्टिक टंकी, एक इलेक्ट्रोनिक मोटर, तीन प्लास्टिक कीप, दो मापक, एक लीटर व

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

दो लीटर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1956 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी सं0 1 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सुनवाई चाही, जिस पर उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 13.9.2021 को अवैध पेट्रोलियम पदार्थ व्यवसाय की सूचना पर श्री अंकित पचार जिला रसद अधिकारी, अजमेर के निर्देशन में जांच दल श्री हरविन्दर सिंह पुत्र श्री हरभजन सिंह, बटाला होटल, ग्राम खेडी, तहसील भिनाय पर आकस्मिक जांच हेतु पहुँचे एवं जाच कार्यवाही में श्री हरविन्दर सिंह द्वारा ट्रक चालको से डीजल (HSD) की खरीद की जाती है तथा अन्य वाहन चालको को डीजल बिक्री का व्यवसाय किया जाता है। श्री हरविन्दर के पास वक्त जांच 14 जरीकेनो से 655 लीटर, तीन ड्रमों में 620 लीटर, एक टंकी में 340 लीटर कुल 1615 डीजल (HSD) का भण्डारण होना पाया गया । श्री हरविन्दर के पास डीजल व्यवसाय का कोई अनुज्ञा पत्र/अनापति पत्र नही होना पाया, एवं जिनके पास उक्त डीजल की खरीद का बिल वाउचर नही होना पाया गया। श्री हरविन्दर द्वारा वक्त जांच बताया कि उनके द्वारा 80 रूपये लीटर में खरीद कर 85 रूपये लीटर में डीजल बिक्री की जाती है। श्री हरविन्दर द्वारा अवैध रूप से डीजल व्यवसाय किए जाने पर उनसे 1615 लीटर डीजल, 14 जरीकेन प्लास्टिक, 3 ड्रम लोहे के, एक प्लास्टिक टंकी, एक इलेक्ट्रिक मोटर पाईप जुडे, तीन प्लास्टिक कीप, दो मापक क्रमशः एक लीटर एवं दो लीटर को कब्जेराज किया गया एवं श्री बलवीर सिह पुत्र श्री भंवरसिह निवासी कल्याणपुरा कार्मिक श्री कालिका फिलिंग पैट्रोल पंप Bpcl ग्राम खेडी, तहसील भिनाय को सुपुर्द्ध किया गया। श्री हरविन्दर पुत्र श्री हरभजन का उक्त कृत्य मोटर स्प्रिट और उच्च वेग आदेश 2005 के क्लाज 3 (4)(7) एवं 4 का उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तशुदा 1615 लीटर डीजल (HSD) 14 प्लास्टिक जरीकेन, तीन लोहे के ड्रम, एक प्लास्टिक टंकी, एक इलेक्ट्रोनिक मोटर, तीन प्लास्टिक कीप, दो मापक, एक लीटर व दो लीटर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1956 की धारा 6 ए के तहत राजसात किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

जवाब में अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र तथ्यों को सिरे से नकारते हुए मुख्यतः कथन किया कि प्रार्थी के पास तीन वाहन है। उक्त वाहनो की डीजल की हमेशा आवश्यकता होती है क्योकि डीजल के बगैर वाहन नही चल सकता और ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा पेट्रोल पम्प से डीजल क्रय किया जाकर अपने पास जरीकेन, ड्रम और टंकी में रखा गया था और उनमें से अवश्कतानुसार प्रतिदिन डीजल निकालकर उन वाहनो में भरकर उन वाहनो का निरन्तर उपयोग किया जाता है। चैकिग के दौरान जांचकर्त्ता अधिकारी को डीजल के बिल भी बताये थे लेकिन उन्होने कहा कि इन बिल को तो कलेक्टर साहब के यहाॅ उस समय बताना जबकि वही से कोई नोटिस आवेगा। अप्रार्थी द्वारा कभी ीाी किसी को भी डीजल का विक्रय नहीं किया गया क्योंकि अप्रार्थी डीजल विक्रय का कोई कार्य नही करता बल्कि वह अधिकृत पेट्रोल पम्प से जो डीजल क्रय करता है उसका उपयोग वह स्वयं के वाहन में करता है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध बनाया गया प्रकरण खारिज फरमाते हुए जब्त डीजल व अन्य सामान अप्रार्थी को वापिस दिलवाये जाने का आदेश न्यायहित में पारित फरमाया जावे।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि मौके पर बटाला होटल, ग्राम खेडी तहसील, भिनाय में श्री हरविन्दर सिह से 1615 लीटर डीजल (HSD) 14 प्लास्टिक जरीकेन, तीन लोहे के ड्रम, एक प्लास्टिक टंकी, एक इलेक्ट्रोनिक मोटर, तीन प्लास्टिक कीप, दो मापक, एक लीटर व दो लीटर जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा गठित जांच दल द्वारा मौके पर बाद जॉच पाया कि प्रश्नगत परिसर में व्यवसायिक उपयोग हेतु निर्धारित पेट्रोलियम पदार्थ (डीजल) का उपयोग अनाधिकृत रूप से वाहनों में ईंधन के रूप में करने का व्यवसाय किया जडा रहा था। पेट्रोलियम / डीजल का भण्डारण एवं अवैध कारोबार मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण विनियम और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघन व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की स्पष्ट अवेहलना पाये जाने पर मौके से जब्त शुदा 1615 लीटर डीजल (HSD) 14 प्लास्टिक जरीकेन, तीन लोहे के ड्रम, एक प्लास्टिक टंकी, एक इलेक्ट्रोनिक मोटर, तीन प्लास्टिक कीप, दो मापक, एक लीटर व दो लीटर की जब्ती की कार्यवाही, की गई है। चूंकि अप्रार्थी द्वारा ऐसे कोई आधारभूत कथन, दस्तावेजी साक्ष्य, सबूत के नही किये गये है, जो प्रार्थना पत्र कथनों का खण्डन करते। जिला रसद अधिकारी द्वारा वरवक्त जांच मौके पर पेट्रोलियम उत्पादों (डीजल) का अनाधिकृत रूप से भण्डारण एवं व्यवसाय किया जा रहा था। फर्द मौका एवं जब्ती, नजरी नक्शा, एवं मौके पर पाये गये 1615 लीटर डीजल (HSD) 14 प्लास्टिक जरीकेन, तीन लोहे के ड्रम, एक प्लास्टिक टंकी, एक इलेक्ट्रोनिक मोटर, तीन प्लास्टिक कीप, दो मापक, एक लीटर व दो लीटर आदि सामग्री के पाये जाने से भी मौके पर पेट्रोलियम पदार्थ (डीजल) के अवैध भण्डारण एवं कारोबार की पुष्टि होती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा सामग्री 1615 लीटर डीजल (HSD) 14 प्लास्टिक जरीकेन, तीन लोहे के ड्रम, एक प्लास्टिक टंकी, एक इलेक्ट्रोनिक मोटर, तीन प्लास्टिक कीप, दो मापक, एक लीटर व दो लीटर पेट्रोलियम पदार्थ (डीजल) को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12.04.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर
अजमेर